

(viii) Minutes of the sittings of the Committee relating to Procedural and Miscellaneous Matters.

12.25 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported strike of Primary School Teachers in Delhi and action taken by Government.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इससे पहले दो मसले उठाये थे...

अध्यक्ष महोदय : आप किसके मुतालिक बात करना चाहते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप पहले मेरी बात सुन लें, मैं कालिग-एटेंशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर फार्मिसिस्ट्स की हड़ताल का मामला उठाया था। आपने कहा था कि यह यू० पी० गवर्नमेंट का मामला है, इसकी इजाजत नहीं दूँगे। उसके बाद दूसरा मामला मैंने कल उठाया, उसके लिये भी आपने यही कहा कि यह यू० पी० स्टेट का मामला है, इसको यहाँ उठाने की इजाजत नहीं दूँगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अब आप इस की प्रोसीडिंज का देख लीजिये। आपने कहा है कि यहाँ मेट्रोपोलिटन कान्सिल है, वहाँ जाइये, वहाँ ही सकता है। उसके बाद वाजपेयी जी ने कहा कि यह यूनियन टैरिटरी है इस लिये यह दोनों का मसला है। इस तरह से तो मंडिकल का मामला या जो मामला कल मैंने उठाया था, ये दोनों गवर्नमेंट्स के मसले हैं। आज जो काल एटेंशन आया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ—इस में ऐसी कौन सी विशेष बात है जिस के लिये कल तो यह कहा गया कि यह मसला मेट्रोपोलिटन कान्सिल का है लेकिन आज उसको आप कालिग एटेंशन में ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके बारे में पता करवाया था, यूनियन टैरिटरी होने की वजह से चूँकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल था, इस लिये इसकी इजाजत दी है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लेकिन कल आपने यही बात कहकर इन्कार कर दिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने वाद में जा कर समझाया था।

अध्यक्ष महोदय : हर एक बात सोच समझ कर की जाती है। अगर जरूरत होती है तो पता करवा लिया जाता है। कोई बन्दिश नहीं होती है, दरवाजे कभी बन्द नहीं होते हैं, जो हो सकता है उसको कर लेते हैं। You are over-ruled.

श्री हरीश कुमार गंगवार : जिसको विशेष लोग उठाते हैं वह हो जाता है, दूसरों का नहीं होता है ?

MR. SPEAKER : You are irrelevant. This is very much irrelevant.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर माननीय शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री जी का ध्यान दिलाता हूँ तथा अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें—

“दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कथित हड़ताल से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।”

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : The Government are aware that some of the Primary School Teachers working in the Municipal Corporation of Delhi have been on strike since 26th March, 1983. The strike is in response to call given by the Delhi Primary Teachers Struggle Committee which includes the teachers of three municipal teacher associations, i.e., Municipal Corpora-

tion Teachers' Association, Delhi Adhyapak Parishad and Teachers Welfare Congress.

12.29 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the chair]

There are 6 demands. The two major demands, viz., revision of pay scales and grant of selection grade are included in the character of demands of the Delhi School teachers. These demands are under the consideration of the group of Ministers. As an interim measure, it has been decided that those M.C.D. Primary School teachers who are help up at the maximum of the time scale will be given one increment with retrospective effect, i.e. from 5.9.1982. If, however, it is not possible to finalise the matter before 5.9.1983, grant of another increment will be considered favourably. Recently, the Government had revised the scale of pay of Head Masters of Primary Schools w.e.f. 5.9.1982 from Rs. 425-640 to Rs. 440-750 (Ordinary Grade) and selection Grade from Rs. 600-750 to Rs. 740-880.

3. I am pleased to inform the Hon'ble Members that the representatives of the teachers had a meeting with the Lt. Governor and Chief Executive Councillor of Delhi on 28th April, 1983 and it has been decided with the concurrence of the teachers representatives to constitute a Committee to look into the demands for larger promotion opportunities. The Committee will comprise two representatives of the Primary School teachers and two representatives of Higher Secondary School teachers. It will be headed by the Chief Secretary of Delhi Administration and will submit its report within a month.

4. As a result of the aforesaid discussions between the Lt. Governor and Chief Executive Councillor of Delhi on the one hand and the representatives of the Primary School Teachers on the other hand, an agreement has also been reached in regard to the qualification certificate after five years of service.

5. I would, however, like to assure the House that the Government is sympathetic to the demands of the teachers and will take all appropriate measures to ensure that the teachers are not discriminated vis-a-vis other employees.

6. In the light of these developments, I would appeal to the teachers to resume duty immediately in the interest of the studies of the children.

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, 26, मार्च, 1983 से 1500 स्कूलों के लग-भग 15 हजार अध्यापक हड़ताल पर हैं, जिससे विद्यार्थियों की कितनी क्षति हुई है, इस का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जितनी तेजी के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए थी, उतनी तेजी के साथ कार्यवाही नहीं हो पाई। बजाय इसके कि सरकार अध्यापकों की मांगों पर ध्यान देती और तत्काल उसके लिए कोई कार्यवाही करती, अध्यापकों के निलम्बन और बर्खास्तगी का काम शुरू कर दिया गया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था और उस समय अध्यापकों को आश्वासन भी दिया गया था कि उन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उन्हें तत्काल राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। वे शासक दल के महत्वपूर्ण नेताओं से मिले थे और चुनाव के समय उन की आवश्यकता थी, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने यह बात कही हो लेकिन आज स्थिति यह है कि चुनाव में किये गये वायदों को सरकार की तरफ से भुलाने की कोशिश की जा रही है और जो यहां के मेयर हैं उन्होंने भी यह रख अपनाया है कि जो अध्यापक हड़ताल पर हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए या निलम्बित किया जाए। जो सरकारी अधिकारी हैं, उनसे तो ऐसी अपेक्षा हमेशा लोग करते ही हैं और अभी प्रधान मंत्री जी ने भी कह दिया है कि हमारी जो नौकरशाही है, उसके बारे में लोगों में तमाम प्रकार के भ्रम हैं। वे ठीक काम नहीं करते, जल्दी काम नहीं करते, उनका रख लोगों के प्रति बहुत ही कठोर होता है, उनकी समस्याओं पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते। ये सब बातें नौकरशाही के बारे में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कही हैं, जोकि आज के अखबारों में

छपी है। अब जहाँ तक नौकरशाही का सवाल है, अगर नौकरशाही कोई इस प्रकार का रुख अपनाए कि अध्यापकों को निलम्बित किया जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए, तो यह बात थोड़ी देर के लिए समझ में आती है लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जो जनता को तमाम तरह के आह्वासन देकर सत्ता में आते हैं, अगर वे भी इसी प्रकार का रुख अपनाने लगे, तो फिर जनता की किसी भी समस्या का समाधान सरलता से नहीं हो सकता। दुर्भाग्य की बात यह रही कि जो नगर निगम में मेयर हैं, उनका रुख भी कुछ इसी प्रकार का है। लगभग 2000 अध्यापक जेल गये हैं।

*** (व्यवधान) ***

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : आप मेयर की बात क्यों करते हो। आप सीधी बात कीजिए।

You please talk about teachers. Do not make this a political thing.

श्री हरिकेश बहादुर : जगदीश टाईटलर जब बोलेंगे, तब ये ही सारी बात का जबाब दे दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप का भी नाम है, तब आप बोलिये।

Call him to order.

श्री हरिकेश बहादुर : सर, मैं आपके माध्यम से श्री जगदीश टाईटलर को यह बता देना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने नारायणपुर कांड के बारे में यह कहा था, गोरखपुर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि अगर मौजूदा सरकार की कोई गलती हो रही है तो उससे राजनीतिक लाभ उठाना हमारा फर्ज है और उससे हम लाभ उठावेंगे। वे अपनी नेता से जा कर के पूछ लें कि इस प्रकार के मामलों में वे राजनीतिक लाभ क्यों उठाना चाहती थीं और क्यों इस प्रकार का उन्होंने बक्तव्य दिया था। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। हम भी जरूर राजनीतिक लाभ उठावेंगे, क्यों नहीं उठावेंगे।

अगर आप जनता को तबाह करेंगे, अगर यह सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान में निकम्बी साबित होगी तो जनता हम को मौका देगी, सरकार चलाने के लिये। मैं भी वही बात कह रहा हूँ जो कि प्रधान मंत्री जी ने कही थी।

लगभग दो हजार अध्यापक जेल गये। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा कि यहां लिखा हुआ है। कृपया टैगिंकार्ड से सुनकर उसे ठीक करें। अध्यापकों ने फरवरी में 6 सूत्री मांग रखीं। उनकी मांगों काफ़ी न्यायोचित भी हैं। जैसे वेतन वृद्धि का मामला था जो कि वेतन मान के पुनर्निर्धारण से सम्बन्धित हैं। पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने की बात थी। सेलेक्शन ग्रेड वगैरह: प्रोवाइड करना और अच्छी सेवा शर्तें प्रदान करना, ये उनकी मांगें हैं। लेकिन उनकी मांगों पर उस समय सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, यह मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ।

सवाल यह है कि जब से वे हड़ताल पर हैं...

MR. DEPUTY SPEAKER : Did you go through point number three in the statement ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : This has taken place yesterday only. I am talking of what has taken place 20 days earlier.

जब से वे हड़ताल पर हैं, तब से उन्हें पुरा वेतन दिया जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी तक लोगों के विभाग में यह बात बैठी हुई है, उन्हें यह भ्रम है कि जब से अध्यापक हड़ताल पर हैं, तब से उनका वेतन काट लिया जाएगा। मेरी शिक्षा मन्त्री से यह मांग है कि वे दिल्ली नगर निगम से कहें कि जिस समय से अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं, जबसे वे हड़ताल पर हैं, उनका पूरा वेतन उन्हें दिया जाए और जितने भी अध्यापक गिरफ्तार किये गये हैं, उन सब को तत्काल रिहा किया जाए। क्या सरकार इसके सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को कोई निर्देश देने जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूँ?

अध्यापकों का जो पे-स्केल है, उसका रि-विजन मई 1970 में हुआ था। तब से 13 वर्ष बीत गये हैं। रुपये की अब क्या कीमत है, यह फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर बता दिया है कि सन् 1962 के मुकाबले में रुपये की कीमत अब 20.12 पैसे रह गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 1970 के मुकाबले में रुपये की कीमत एक-तिहाई रह गई है। 13 वर्ष पहले अध्यापकों के पे-स्केल का रि-विजन हुआ था। तब से अगर कोई पे-रिवीजन नहीं हुआ है तो उनकी मांगें हम न्यायोचित समझते हैं और उनका हम पूरा समर्थन करते हैं इसलिए उनके पे-स्केल का रि-विजन तत्काल होना चाहिए।

1971 में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली नगर निगम से यह कहा था कि 15 फीसदी अध्यापकों को सैलेशन ग्रेड प्रदान करें और अभी सितम्बर 1982 में इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर देने के लिए दिल्ली नगर निगम को कहा गया था। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस वजह से भी आज अध्यापकों में असन्तोष है। अगर दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन ने केन्द्रीय सरकार का यह सुझाव मान भी लिया होता तो भी पदोन्नति की जो आज समस्या अध्यापकों के सामने है, उसका ठीक ढंग से समाधान नहीं हो सकता। इसलिए उनकी समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाये और अधिक लोगों को पदोन्नति देने का प्रावधान करे क्योंकि अधिकांश अध्यापक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर उनको इन्सेन्टिव नहीं मिलेगा, अगर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें भविष्य में अच्छा वेतन मिल सकता है, अच्छा वेतनमान मिल सकता है तब वे ठीक ढंग से काम नहीं कर सकेंगे। अगर उनमें असन्तोष रहेगा तो उसका नतीजा हमारी भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी मांगों पर ठीक ढंग से विचार किया जाए और उन्हें अधिक से अधिक पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाएं।

अभी कुछ दिन पहले सरकार ने दो कमीशन बनाये हैं। दो कमीशन फार स्कूल एजुकेशन। जिसके अध्यक्ष श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय हैं। दूसरा कमीशन है—

The Commission for Teachers concerned with Higher Education.

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना भी चाहता हूँ कि क्या वे प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की समस्याओं के सम्बन्ध में और उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए कोई अलग से कमीशन बनाने का सुझाव देंगे, कोई अलग से कमीशन बनायेंगे? जो राष्ट्रस्तर पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की सेवा शर्तों के लिए सुझाव दे। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी एशियाड पर 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अध्यापकों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।

... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY SPEAKER : Don't get diverted to other things, concentrate on the subject.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I am concentrating on the subject, Sir. Once you are going to spend more than Rs. 2,000 crores on games, you must think of education also.

MR. DEPUTY SPEAKER : For that you can have a general discussion on ASIAD and other things.

श्री हरिकेश बहादुर : पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों की सेवा शर्तें अच्छी हैं। पैसे वाले लोग अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। गरीब लोग अपने बच्चों को नगर निगम और जिला परिषदों द्वारा संचालित स्कूलों में भेजते हैं। दिल्ली में नगर निगम द्वारा जो विद्यालय चलाए जाते हैं। अगर वहां पर अध्यापकों की सेवा शर्तें अच्छी नहीं होंगी तो वहां पढ़ाई का स्तर और नीचा हो जाएगा। ये बच्चे अच्छी नौकरी नहीं पा सकेंगे और देश के लिए भी घातक सिद्ध होगा। इसलिए इन विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार किया

जाए। 1983-84 के बजट में शिक्षा के लिए 412.61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही कम है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको और अधिक बढ़ाया जाए। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

इसी प्रकार से केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों का मामला था। उनकी मांग थी कि वेतनमान का पुनर्निर्धारण किया जाए और सलेक्शन ग्रेड दिया जाए तथा पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। उनकी बातों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मेरी सरकार से मांग है कि पूरे अध्यापक समूह के कल्याण के लिए उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। दिल्ली के अध्यापकों के लिए तुरंत कारगर कदम उठाकर उनको राहत दें।

अन्त में मैं अपने प्रश्नों को संक्षेप में एक बार फिर बता देना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Why don't you endorse these as last sixth paragraph ? Why can't you read sixth paragraph ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : It is the last paragraph which has included many questions.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratangiri) : Sixth paragraph can be included provided the demands are fulfilled.

MR. DEPUTY SPEAKER : You can add that. I said, go through the sixth paragraph.

श्री हरिकेश बहादुर : (क) वेतनमानों के पुनर्निर्धारण के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

(ख) सलेक्शन ग्रेड देंगे या नहीं देंगे ?

(ग) गिरफ्तार अध्यापकों को तत्काल रिहा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

(घ) हड़ताल के समय का पूरा वेतन देने हेतु सरकार दिल्ली नगर निगम को निर्देश देगी या नहीं।

(च) प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या कोई अलग से कमीशन बनेगा, जैसे कि अभी दो कमीशन बनाए गए हैं ?

इन प्रश्नों का मैं जवाब चाहता हूँ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने अभी टीचर्स की परेशानी बताई। यह सही है कि हम सब इसके लिए परेशान हैं। इसके बारे में हम काफी असें से सोच रहे हैं। टीचर्स समाज की बुनियाद हैं, इसलिए उनका हमें खास ध्यान रखना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बराबर उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी तरीके से हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले को भी तय किया था। मैं बराबर कहती रही हूँ कि इन चीजों में वक्त लगता है। जल्दी करने में कोई चीज रह जाती है, बिगड़ जाती है। "Haste makes waste"

इसलिए बेहतर यह है कि सोच-समझ कर करें।

यह सभी को पता है कि अगर हम किसी चीज को अनाउंस करते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सब चीजें देते हैं। हरिकेश जी ने पूछा है कि क्या हम जैसे पहले दो कमीशन टीचर्स के लिए बने हैं, उसी प्रकार म्यूनिसिपल टीचर्स के लिए तीसरा कमीशन बनायेंगे क्या ? मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है और न ही हमारे ध्यान में है। वे टीचर्स भी स्कूलों के टीचर्स हैं इसलिए अलग से इसको बनाना भी मुनासिब नहीं होगा। इन्होंने टीचर्स के वेतन रोकने के आदेश के बारे में भी पूछा है ? ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। No orders have been given for stopping the salaries of teachers.

जो अध्यापक जेल गए थे, उनको सिम्पल इम्प्रोजनमेंट के बाद छोड़ दिया गया है। आखिरी बंच 277 का, अभी वहीं पर है। बाकी सब रिलीज कर दिए हैं। बीस परसेंट सिलेक्शन ग्रेड का बेनीफिट भी टीचर्स को दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) :
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जो प्राईमरी स्कूल के अध्यापक हड़ताल पर थे, और उस हड़ताल को अध्यापकों का व्यापक समर्थन था, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं शिक्षा मन्त्री महोदया की इस अपील में अपनी धावाज मिलाना चाहता हूँ कि अब अध्यापकों को अपना आन्दोलन समाप्त कर देना चाहिए और बातचीत की टेबल पर आकर सारी समस्याएँ हल करनी चाहिए।

दिल्ली के प्राईमरी अध्यापकों की समस्याएँ पिछले कई सालों से गम्भीर रूप लेती जा रही हैं। मुझे याद है, 15 साल पहले दिल्ली के प्राईमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान अनेक राज्यों के प्राईमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान से अच्छे थे। मेरे पास समय नहीं है, मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूँ।

श्री गिरधारी लाल ध्यास (भोलवाड़ा) :
आपके पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब दिल्ली के प्राईमरी अध्यापक न केवल पड़ोसी राज्यों के प्राईमरी अध्यापकों की तुलना में कम वेतन ले रहे हैं बल्कि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है 14 साल बाद स्टेगनेशन। अन्य राज्यों ने इसका हल निकाल लिया है। दिल्ली में इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। क्या 14 साल शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने के बाद एक अध्यापक अपनी उन्नति के सारे रास्ते बन्द पाएगा? अगर, उसे सारे रास्ते बन्द मिलेंगे तो किस प्रकार वह निष्ठा और रुचि के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्टेगनेशन की समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Running scale is only the solution for it. When the Commission comes, it can be done. Till retirement they must get their increment every year.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Tamil Nadu has done something very good in this regard.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिक्षा मन्त्री महोदया ने यह स्वीकार किया है कि प्राथमिक शिक्षा हमारी बुनियाद है। लेकिन बुनियाद के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात करते हैं। मगर, ड्राप-आउट का जो परसेंटेज है, वह कितना ज्यादा है? इस स्थिति में प्राईमरी शिक्षक अगर असंतुष्ट होंगे तो हम फिर बुनियाद को मजबूत नहीं कर सकते? भले ही कितना गौरवशाली शिखर बनाते जाएं।

एक प्रश्न मैंने स्टेगनेशन का उठाया है, दूसरा यह उठाया है कि अन्य राज्यों की तुलना में अध्यापकों के वेतन मान समान बनाने की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

मन्त्री महोदया ने अपने बयान में कहा है :

“These demands are under the consideration of the group of Ministers.”

Who constitute this group? What are the terms of reference?

Will this group of Ministers meet the representatives of the teachers?

दूसरी बात जो मेरी समझ में नहीं आती और जिसका मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदया स्पष्टीकरण दें यह है :

“As an interim measure, it has been decided that those M.C.D. Primary School teachers who are held up at the maximum of the time scale will be given one increment with retrospective effect, i.e., from 5.9.1982.”

Well and good. I welcome this. But the hon. Minister has added—

“If, however, it is not possible to finalise the matter before 5.9.1983, grant of another increment will be considered favourably.”

5-9-83 तक सारे मामले को अंतिम रूप क्यों नहीं दिया जा सकेगा, कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामले को लम्बा लटकाने का इरादा हो ?

श्रीमती शीला कौल : बिल्कुल नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदया के आश्वासन का मैं स्वागत करता हूँ। फिर आपने कहा है :

Government will take appropriate measures to ensure that the teachers are not discriminated vis-a-vis other employees.

अध्यापकों की तुलना अदर 'एम्प्लायीज' से कैसे होगी ? अदर एम्प्लायीज से उनका मतलब क्या है ? दिल्ली की हालत तो यह है कि कारपोरेशन के प्राइमरी टीचर्स के बारे में रिटायरमेंट के अलग नियम हैं और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के प्राइमरी टीचर्स के अलग नियम हैं। कारपोरेशन के प्राइमरी टीचर्स 60 साल तक सेवा कर सकते हैं जबकि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के प्राइमरी टीचर्स 58 साल की उम्र पर रिटायर होते हैं।

मन्त्री महोदया ने कहा है कि और एम्प्लायीज की तुलना में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि और एम्प्लायीज कौन से हैं ? अच्छा तो यह होगा कि पड़ोसी राज्यों के प्राइमरी शिक्षकों को जो वेतन मिल रहे हैं जिस तरह उनकी पदोन्नति की जा रही है और भ्रम्य सुविधाएं उनको प्राप्त हैं—

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : पांच साल तक उनका नुकसान करोगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे शक है कि राजस्थान में प्राइमरी शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

दिल्ली में प्राइमरी शिक्षा की हालत क्या है ? मैं एक प्रेस रिपोर्ट उद्धृत करना चाहता हूँ :

According to a recent survey conducted

by NCERT there were the primary schools in Delhi working with only one teacher.

If the teacher goes on leave, then what happens ?

MR. DEPUTY SPEAKER : All the students get leave.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : There are schools without a peon or chowkidar and teachers have to carry the dak.

क्या इन बातों से अध्यापकों को शिकायतें नहीं होंगी।

एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री महोदया का ध्यान इस बात की ओर जरूर गया होगा कि जेल में कुछ अध्यापकों के साथ बुरा बरताव हुआ है। मुझे खुशी है कि जेल से जो पकड़े गए थे, वे छोड़े जा रहे हैं और आप उनका वेतन काटने का इरादा भी नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता कि प्रेस रिपोर्ट कहां तक सही है लेकिन यह छपा है कि अध्यापकों के साथ और विशेषकर महिला अध्यापकों के साथ बुरा बरताव हुआ है मैं चाहता हूँ कि इसका आप पता लगाएं क्योंकि दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि अध्यापकों के साथ अगर जेल में दुर्व्यवहार हुआ है तो सरकार ने उसकी निन्दा की है या नहीं।

ये कुछ प्रश्न मैंने उठाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि इनका सन्तोषजनक उत्तर मुझे मिलेगा।

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष जी, माननीय वाजपेयी जी ने कुछ सवाल उठाये हैं और उन्होंने यह कहा है कि जो पड़ोसी प्रान्त हैं उनके मुकाबले में दिल्ली के टीचर्स को कम मिलता है। तो मेरे पास जो फिगर्स हैं उनको मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहती हूँ। दिल्ली में जो पे स्केल है, मिनिमम जो घर पे पैकेट वह ले जाते हैं वह 829.40 है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सिटी कम्पेन-सेटरी अलाउन्स को मिला कर।

श्रीमती शीला कौल : और जगह भी यही होगा न। आप सुन लीजिये। हैड मास्टर का मिनिमम पे पैकेट है, 103067 और इनका मैक्सिमम है 1,675,751 और इसी तरह से उनका सीनियर ग्रेड में आने पर स्केल होता है 740 रु० से और मिनिमम पे पैकेट होता है 1,653 रु० और मैक्सिमम होता है 1,954,04। हमारे नजदीक जो प्रान्त है जैसे हरियाणा जिसका कि असर दिल्ली पर होना ही चाहिये, फिर पंजाब भी बहुत रईस प्रान्त है, उन्हें क्या मिलता है। उनका पे स्केल है 480 से 760 रु० और उनका मिनिमम, जब कि दिल्ली में 829.40 है, वहां उनका मिनिमम होता है 781.60। जब दिल्ली में 1,252 रु० तो यहां 1,198 रु०।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह ठीक नहीं है। दिल्ली में रहने वाले अध्यापकों को सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउंस ज्यादा मिलता है। हाउस रेंट ज्यादा मिलता है। उसको निकाल कर आप तुलना कीजिये।

श्रीमती शीला कौल : मैंने तो बताया आपको यहां दिल्ली में हायर सेकेन्डरी टीचिंग ट्रेनिंग के बाद 530 मिलते हैं और इनको मिलता है 525 रु० और मिनिमम है 850 रु० और मैक्सिमम है 1,450 रु०। और हरियाणा में 480 रु० से 760 के स्केल में उनका मिनिमम बनता है 819.80 और मैक्सिमम है 1,233 रु०। यह है हरियाणा का। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक यह है।

आपने ड्रॉप आउट्स का जिक्र किया है। तो ड्रॉप आउट्स के बारे में बहुत सी स्कीम्स चालू की हैं ताकि जो बच्चे दाखिल हो जायें वह उसमें रहें, और इसके लिये इन्सेटिव्ज भी देते हैं और ऐसा करने में यह हुआ है कि ड्रॉप आउट्स में थोड़ी सी कमी हुई है।

फिर आपने पूछा यह ग्रुप कौन है, ग्रुप के मिनिस्टर्स कौन हैं? तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ब्रोडकार्टिंग मिनिस्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : ब्रोडकार्टिंग मिनिस्टर क्या करेगा? सिर्फ फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर्स होने चाहिए जो एकदम डिजीजन लें।

श्रीमती शीला कौल : जो नतीजा निकलेगा वह ब्रोडकास्ट ब्रोडकार्टिंग मिनिस्टर करेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जेल में दुर्व्य-हार की शिकायत है।

श्रीमती शीला कौल : वह हम दिखवा लेंगे।

श्री सज्जन कुमार (वाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, प्राइमरी टीचर्स के बारे में जो मन्त्री जी ने आज बयान दिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि जो उनकी कुछ बुनियादी बातें थीं उनको कुछ को हमने माना है। दिल्ली के प्राइमरी टीचर्स को मैं जरूर कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष जी कि...

13.00 Hrs.

दिल्ली प्रशासन के टीचर्स के मुकाबले में हमेशा दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों की अवहेलना होती रही है और उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन की ओर से जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, आज भी उन टीचर्स का ग्रेड दिल्ली नगर निगम के टीचर्स से कहीं अधिक है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि यह बात सच है कि दिल्ली प्रशासन के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का ग्रेड उनसे अधिक है तो क्या दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को भी आप उनके मुकाबले में करेंगे?

अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि हड़ताल के दिनों के टीचर्स के वेतन को रोका नहीं जायेगा। वेतन रोकने की बात नहीं है, हम यह जानना चाहते हैं कि हड़ताल के दिनों में जो अनुपस्थित रहे हैं और जेल में गये हैं, क्या उस दौरान की भी आप उन्हें तनखाह देंगे? हम चाहेंगे कि उन्हें उस समय का वेतन दिया जाना चाहिये।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, चाहे वह विभागीय कार्यवाही हो या पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही हो, क्या आप तुरन्त आज ही इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि उन्हें जेल से रिहा किया जाये और उनके खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही वापिस ली जाये ?

मैं दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों की हमेशा प्रशंसा करूंगा कि बावजूद इसके कि वह 26 मार्च से हड़ताल पर हैं और दो हजार टीचर्स ने गिरफ्तारी दी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शांति का परिचय दिया है बावजूद इसके कि उनकी मांगें उचित हैं, जिसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी प्रकार का हिंसा का कोई रूप देने की कोशिश नहीं की। अभी मुझ से पहले माननीय सदस्य ने कहा कि दिल्ली के महापौर ने उनके बारे में जो कुछ कहा वह उससे सहमत नहीं है।

मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के महापौर ने दिल्ली के अध्यापकों को बातचीत के लिये आमंत्रित किया अपने चैम्बर में और उसके बाद अध्यापक जेलों में गये। उनके लीडर्स और महापौर खुद जेल में अध्यापकों से मिले। जेल में जो दुर्व्यवहार की बात कही गई है, उसके बारे में भी मैं दिल्ली प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ के कार्यकारी पार्षद श्री कुलानन्द भारती खुद जेल में गये और टीचर्स को 'ए' क्लास दी गई। और सारी सुविधाएँ वहाँ जुटाई गई। जो पोलिटिकल बयान कल अखबार में छपा था, उसका भी खंडन किया गया और कहा गया है कि अध्यापकों को वहाँ सुविधाएँ दी जा रही हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें बाकायदा सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों के बारे में वाजपेयी जी ने कहा कि उनकी बहुत दुर्दशा है, वहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ पर टाट

टीचर्स को लेकर जाना पड़ता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं भी दिल्ली से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मुझे भी इन स्कूलों को देखने का मौका मिला है। जितनी बढ़िया व्यवस्था वहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में है, शायद हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं होगी।

मैं शिक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो सैकड़ों प्राइमरी स्कूल टैन्टों में चल रहे थे, आज उनके भवन बना दिये गये हैं और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हो या रिसेटलमेंट कालोनी में हों, किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं है। टीचर्स बढ़े हैं।

दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग और दिल्ली नगर निगम के चुने हुये प्रतिनिधि जो काम कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर्स कमेटी बनी है, क्या उसकी कोई बैठक हुई है? यदि नहीं हुई है तो मैं चाहूंगा कि उसकी तुरन्त बैठक बुलाई जाये और जो सवाल चल रहे हैं, उन्हें जल्दी हल किया जाये।

आज मन्त्री महोदय ने हड़ताल वापस लेने की अपील की है। हम सब चाहेंगे कि सारा हाउस अध्यापकों से यह अपील करे कि वे अपनी हड़ताल को वापस लें, स्कूलों में आएँ और स्कूलों को चलाएँ। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के एग्जामिनेशन आए हुए है। पिछले डेढ़ महीने में उनकी शिक्षा पर इस हड़ताल का बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दें कि हड़ताल समाप्त होने के बाद उन बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करने के लिए पार्ट-टाइम टीचर्स को लगाया जाए, जिससे बच्चों की शिक्षा में जो कमी हुई है उसकी पूर्ति की जाए। अन्त में मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि

अध्यापकों की न्यायोचित माँगों को तुरन्त पूरा किया जाए।

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वे सब—जो बोल रहे हैं और जो नहीं भी बोल रहे हैं—इस बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि दिल्ली के टीचर्स के लिए कुछ किया जाए।

माननीय सदस्य, श्री सज्जन कुमार, ने भी जिक्र किया है कि पहले कुछ स्कूल टेन्ट में चलते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि स्कूल इस लिए टेन्ट में चलाए जाते हैं कि कुछ लोग जा कर एक जगह पर बस जाते हैं और उनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजने में दिक्कत होती है। सरकार या कार्पोरेशन चाहती है कि ये बच्चे पढ़ाई न होने की वजह से सफर न करें, इसलिए टेंट लगा कर उनको पढ़ाया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि स्कूल की बिल्डिंग खड़ी की जाए। मैं यह बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में एक मेट्रिक स्कूल का इन्तजाम हो रहा है। मैंने कहा है कि अगर बिल्डिंग एक साल में तैयार न हो सके, तो टेंट लगा दिए जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए। मुझे डर लगता है कि कोई यह नहीं कहे कि आपकी मिनिस्ट्री के स्कूल भी टेंट में चल रहे हैं, इस लिए मैं यह बात बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि टेंट तो हमेशा नहीं रहेंगे, बिल्डिंग बन रही है, बाद में वे बिल्डिंग में चले जाएंगे।

माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि क्या ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। मीटिंग हो रही है और अगले हफ्ते भी एक मीटिंग होगी। मैंने कहा है कि हम इसमें दिलचस्पी रखते हैं। आपको पता है कि फिनांस मिनिस्टर साहब खुद टीचर रहे हैं, मैं खुद टीचर रही हूँ। हम सब इस कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरीके से यह काम जल्दी हो जाए। मुझे अभी यह जानकारी दी गई है कि यह सही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के एसिस्टेंट टीचर्स का

स्कैल आफ पे म्युनिसिपल कार्पोरेशन में काम करने वाले टीचर्स से ज्यादा है। आपको भी यह बात मालूम होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने कहा है कि स्कूल तीन हफ्ते बन्द होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है, इस लिए पार्ट-टाइम टीचर्स लगाए जाएं। हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है।

श्री सज्जन कुमार : हड़ताल के समय का वेतन ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने कहा है कि ऐसा कोई आर्डर नहीं दिया गया है कि इसको रोका जाए।

श्री सज्जन कुमार : उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई है,...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset I would join myself in the appeal made by the hon. Minister to the teachers to resume duty in the interest of the studies of the children. But I would like to add a proviso and the proviso is that their demands should be adequately and properly met. Paragraph 6 of the reply mentions, '... In the light of these developments...' I am sorry, I am not satisfied with the developments which are mentioned in this reply. Paragraph 2 of this reply mentions that there are six demands of these striking teachers. Now, out of six demands nothing has been said about 4 demands. This even does not disclose what are these 4 demands. 2 demands which are for the consideration of the group of Ministers are the grant of selection grade and the revision of pay scales. So all demands you have not given for consideration of the Group of Ministers. So, I would very much like to know what are those 4 other demands and what the Government is going to do about these 4 demands.

Mr. Deputy Speaker, you were kind enough to invite the attention of Mr. Harikesh Bahadur to para 3 probably because there is a mention of some committee to look after certain problems. But that is only restricted to the larger promotion opportunities and this paragraph 3 only refers to that.

So when we take into consideration the overall effect of this answer, it means that 2 demands are being considered by a group of Ministers, the promotion opportunities are to be considered in that particular meeting with the Lt. Governor, the Chief Executive Councillor and the representatives of the teachers and the other paragraphs speak about the assurances and sympathies towards the teachers.

The hon. Minister said that the problems cannot be solved in a day or two because she added that haste is waste. But this is not the first time that the teachers have gone on strike. The teachers had gone on strike first in 1976 or 1978 and then in the year 1979. Problems are not solved since 1976-77. So in the year 1979 when the teachers went on strike, the Janata Government was in power and the Janata Government did appoint a committee to consider all the problems. But because the Janata Government fell, that committee died a natural death. But after the present government came to power in 1980, no steps were taken upto this date. Therefore, it was necessary for the teachers to resort to this kind of remedy. Teachers are not happy to go and have a strike and go into jail, but there is no alternative left for the teachers but to do something and to take some drastic steps so that the attention of the Government can be attracted.

In 1979 when the teachers were on strike, Shrimati Indira Gandhi, the present Prime Minister, addressed a meeting of the teachers and it is reported, that she gave an assurance that if she came to power in the elections, she would immediately take steps to solve their problems. I would like to ask, You came into power in 1980. What steps did you take from 1980 to 1983? And when the teachers are going on strike, you are thinking of taking certain steps.

When the matter was taken before the officers of the Corporation, they rely on mere technical defects and they said that no notice has been given to them. But when the copy of the notice, as the report goes, which was received by the Central Government was sent to the Commissioner, he had said that all these demands are to be considered not by the Corporation but they are to be considered by the Central Government and that whatever the Central Government

decides and whatever directions they give, they will implement. So the ball is in the court of the Government and the Government has to take a decision about this particular demand.

This strike is going on for about a month. In my opinion, the most sordid aspect of the current agitation is the inaction of the City Fathers which may give the agitation an alarming turn. The persons who are affected—the teachers are there, but the fathers and their children, the future of the children are also there. Even assuming for a moment that this problem is solved. I would like to know from the hon. Minister what is to happen to the students after these delayed examinations are held for admissions in other classes. I am told that the admissions close by the end of 30th April.

MR. DEPUTY SPEAKER : And the teachers are the mothers and fathers of the students.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : That is true, but they are supposed to feed their sons and daughters. They must get money for that.

In this connection, the question which I would like to pose in this. The examinations are not going to be held before 30th April. And no results will be out. In Delhi, the admission date is 30th April. If they are to take the examination, say, in the month of June, then what happens to their admission to the next class? I would request the hon. Minister to give a thought to this aspect also.

The hon. Minister said that we are considering these aspects. But we do not want to take hasty steps. May I remind you, Madam, that as far back as on 26th February, 1982, the representatives of the teachers along with Mr. Bhagat who is now the Minister met you in your office and pressed for these very demands which the teachers are claiming now? What did you do about that? About 8 or 10 months have passed. It is reported that you did give an assurance to these representatives in the presence of Mr. Bhagat that their problems would be looked into and would be solved soon. Not only that, Mr. Bhagat asked you about commitments which were made to these teachers before.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Bhagat

was here for a long time. And you could have asked him to remain here.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : But, you did not call me at that time. That is my difficulty. Since 1979 this matter is before you. Coming to the demands to which a reference had been made in this reply, the first demand is about the pay scale. The speakers who spoke before me have given a reference to it. But in the reply, the Minister said that the pay scales of the teachers in Delhi are not lower than those in the other States. I am sorry I am unable to accept Statement. I do not know whether this pamphlet published by the representatives of the teachers under the caption '*Sachhayi Kya Hai*' has been seen by you. I would request your officers in the Ministry to go through these figures which have been given therein. They say that in the adjoining State of Punjab, leave aside Bihar, Andhra and Maharashtra, the basic is Rs. 530. It goes upto Rs. 630 in addition to D.A. In Harayana, the basic is Rs. 525. It goes upto Rs. 900 ; in Himachal Pradesh, the basic is Rs. 480. It goes upto Rs. 880. In Bihar, which is supposed to be a poor State, the basic is Rs. 580. It goes upto Rs. 860. In Delhi, the teachers start with Rs. 330 and this goes upto Rs. 560. What is the take-home pay by the end of the month of the other officers ? These include house rent and other allowances. We are concerned with the basic salary which the teacher gets.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can only compare the basic—minimum-salary.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : That is what exactly I am referring to. My respectful submission to the Hon. Minister is not to give us those figures which include all these allowances. If I had been in Haryana, I would have got Rs. 200 or Rs. 250 more. I do not think that the teachers are wrong. Some thought has to be given by Government in this connection.

Another aspect of this subject of pay scale is this. There is an everwidening disparity between their pay scales and those of the categories of the others. I am not concerned with the disparity with reference to the scale of pay of other employees. Kindly compare the disparity between the teachers. You will be surprised to note that these

scales have never been revised as suggested by the Kothari Commission at the time of last revision in the year 1970.

I would like to ask what steps has Government taken on the recommendations of the Kothari Commission ? I quote from the Report of the Kothari Commission :

“Since teaching is a unified profession requiring common attitude of devotion and dedication and since teachers at every stage are entrusted with the responsibility of educating the younger generation, the difference in the remunerations of the teachers at different levels, primary, secondary and university should be reduced to the minimum.”

Sir, this was given in the year 1970. Has the Government applied its mind ? What steps has it taken ? Not only that. After this report, the Petitions Committee of Rajya Sabha, in their Twenty second Report, in forceful terms, stated as follows. I quote :

“The Committee are of the view that the Government should make an attempt to reduce this disparity by increasing the maximum of the scales as soon as possible. Their emoluments and other service conditions should be adequate and satisfactory having regard to their qualifications and responsibilities. The Government should find ways and means to remove the grievances of Delhi School Primary Teachers by increasing maximum of their pay scales.”

In the years 1969, 1970 and 1971, the emoluments of the teachers were considered, but no action was taken. So, there is no hurry. There is an enormous delay on the part of the Government to look into the problems of the teachers. The hon. Minister has said that haste is waste. There is no haste. But there is a considerable delay and the delay defeats everything. I am more concerned with the five lakh students who are affected by this particular strike. Who is responsible for this ? I would respectfully say that it is the responsibility of the Government of India and failure of the Government not to take proper steps at the proper time. At least when Mr. Bhāgat met you, had you looked into the matter, they would not have gone on strike. Another demand of the teachers is that their pay should be revised

every five years and even in this connection there is a recommendation of the Education Commission. The Education Commission has strongly recommended that the pay-scales of teachers should be revised after every five years and in this connection, the Kothari Commission has also said that they have recommended that all salaries of the teachers should be reviewed and revised at least once in five years. Have you done that? For the last fifteen years, the teachers are going on strike at one time or the other and in this House in 1976, 1977 and 1979 various hon. Members of the Parliament raised this issue under Rule 377 and on April 20, Mr. Ramavatar Sastri also raised this issue. But we did not find that anything was done by this Government. I would, therefore, request you to take into consideration the recommendations of the Rajya Sabha Petitions Committee, Kothari Commission and the Education Commission. What steps Government intend to take as far as this matter of pay-scales is concerned?

The second demand of the teachers is about the Selection Grade. About the Selection Grade, again, there is a considerable delay. It was in the year 1971, the Government of India had announced that 15% of teachers would get Selection Grade every year. Kindly note this 15%. The total number of the teachers is about 15,000. On the basis of 15% every year, the selection grade should have been given to 2250 teachers. So, in seven years time, the problem of Selection Grade could have been solved. But you will be surprised to know that this was not implemented. And for the last 14 or 15 years, the problem of Selection Grade that is solved is only to the extent of 2250 teachers. Is this haste?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : They say that the Selection Grade is given to the extent of 20%.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : If that is not correct, let the hon. Minister deny. After two years, there was another recommendation by which the 15% was increased to 20%. Only the orders might have been passed but never implemented and it is said that according to this recommendation, so far 2250 teachers have been given the Selection Grade. Now, what about the backlog? Are you going to take a decision

immediately and give the Selection Grade to the teachers before they retire? Those who have become eligible for the Selection Grade in the year 1971-72 as per the orders of the Government till this day have not been given the Selection Grade. Would you agree if I say that this appeal which is made by the Government asking the teachers to resume their duties, is not a sincere appeal?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I want one clarification from you. I want to know whether this 15% of the Selection Grade should be given on the basis of the total teaching staff every year. Was that the recommendation?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Yes, it is for every year.

SHRIMATI SHEILA KAUL : Now, it is 20%.

MR. DEPUTY-SPEAKER : And by this time it should have been over.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Yes. Therefore, if the teachers come and say that injustice is being done to them, will it be proper on our part to tell them: "Don't be in a hurry; we have appointed a Committee of the Ministers including the Finance Minister and the Information and Broadcasting Minister, and you will hear an appeal on the radio, and so on". I regret, this is not the way to solve the problem.

MR. DEPUTY-SPEAKER : At least, you will agree if the Minister assures you that within so many months the final decision will be taken.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : That can be done; the resolution, order or the direction is already there.

There is another thing. The women teachers who joined the teaching profession after August, 1960 have not been given the selection grade, but this facility has been given to male members who joined in 1961. Is that true? This is discrimination. Madam, you said that you were yourself a teacher. Had you been a teacher now, how would you have felt?

MR. DEPUTY-SPEAKER : If it had come to her notice, definitely, she would have protested.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Now I have brought it to her notice ; I hope, she will take immediate steps to redress their grievances.

Their other demands are introduction of time bound selection grade, and fixation of grades according to qualifications. Other problems are also there, but not a word has been said about them. They also demand, for purposes of residences, why not give them a quota in DDA flats ? They also want upgradation of 50% primary schools to Class VI. Another demand of theirs is to provide employment to one of their wards in the Municipal Corporation of Delhi, after they have attained the age of 45 years. What have you got to say to all their demands ? Say, yes or no. The pet answer is that these are under consideration and that they will take a sympathetic view of the demands. By this answer, I do not think our teachers will be satisfied and there would be any response to the appeal. If you want that there should be a proper response to the appeal, I would request you to give a serious thought to all these problems, and do not only say that you have appointed a Committee of the Ministers and the Executive Councillor etc. and that they are going into these matters and the problems will be solved. Again after two years if the problems are not solved, we will have to face the same thing.

I would request you to consider various aspects and answer the questions that I have raised.

SHRIMATI SHEILA KAUL : I feel that Shri Parulekar would not like me to tell him the demands of the teachers, because he knows what their demands are.

He expressed his anxiety about the education of the children. I would like to inform him and the House that the primary school starts from Class one. For classes I and II, there are no tests and the children are promoted. As far as classes III to V are concerned, we are going to take quick measures to see that the children have their annual tests. As soon as the strike is called off, we will be able to manage that. We are very much anxious that the children should not miss the year.

The hon. Member talked about the

selection grade. The selection grade has been given to 2657 teachers so far. Sir, we have been constantly raising the salaries of the teachers for the last few years. From 1959 to 1982, their pay-scales have been revised six times. So, the people who are at the helm of affairs in the Department, they are in constant touch and when time comes, the salaries of the teachers are raised.

Secondly, Sir, 20% of the total posts are for Selection Grade and it is a continuous process. Those who come in this category, they get that Grade. And for women teachers, there is a separate Cadre for them.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Here Article 14 comes into play.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Special Cadre does not mean there should be discrimination in their pay.

SHRIMATI SHEILA KAUL : Not in pay, but in selection.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Why ? Are they not competent ? Sir, are you satisfied ? If you are satisfied, I am satisfied.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Special cadre means qualifications required for a teacher to be recruited. For the primary teacher the qualification required is one and same for male as well as for female. Therefore, why should there be discrimination ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने किसी को कोई सेलैक्शन ग्रेड दिया है ?

SHRIMATI SHEILA KAUL : Yes, we have been giving Selection Grade.

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar) : Sir, I am at a great disadvantage—large number of speakers and the demands are common and everybody has spoken. But, still I welcome the Minister's statement on whatever concessions she has given to the teachers. No doubt, in Delhi, the teachers were getting a good salary compared to other States. But, it was on 27th May, 1970 that also on the intervention of

the Prime Minister Indiraji the teachers' scales were revised. But from that moment, thirteen years have passed and the teachers' grades have stagnated and nothing has been done. And one of the reasons given is that in 1973, when the Third Pay Commission's Report was announced, it did not take up the issue of the teachers' salary because they said that the Kothari Commission's Report is there. On the other hand the Kothari Commission's Report vide Para 321 says that :

"The teachers' grades would be revised once every five years."

Now, from 1973 today it is 1983. All these years the teachers have been told that because of the Kothari Commission's Report your grades will be revised in the five years. But till today it has not been done. Now, 13 years have passed and the Third Pay Commission also has done nothing for the teachers. Now, I would like to give a little comparison. When the Third Pay Commission's Report was announced, the teachers' Grade was Rs. 165-350 and the Nurse' Grade was Rs. 135. When the Third Pay Commission's Report was announced, the Nurses were placed at the Grade of Rs. 425-640. And the teachers were left untouched. Then some people thought of the teachers, and their salaries were brought to the grade of an Upper Division Clerk. You can imagine how the teachers were de-graded-teachers who were teaching the children. They belong to the noblest profession. The hon. Minister and many Members of Parliament also feel this.

To-day, the primary school teachers of the Union Territory of Delhi are the lowest paid in comparison to Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and other States, inspite of the fact that Delhi is not only the capital of the country, but also an 'A' Class city with more expenses than obtained elsewhere.

The primary school teachers are to-day at a stagnation point in their grades.

As far as the Selection Grade is concerned, this applies only to the senior-most teachers, and not to all. That is, only 20% of the teachers are benefitted. These

20% teachers also have covered this selection grade, and are stagnating for five or more years. The other 80% also are all stagnating, and they too have no hope of getting even this selection grade after reaching their maximum. In this connection, I would point out that teachers with 20 to 25 years of service are still stagnating, and are not eligible for Selection Grade.

Since the schools are at the primary level, there is no chance also for qualified teachers for further promotion, because of the absence of middle and higher secondary schools in the Corporation.

I, therefore, suggest that this Selection Grade should be done on a time-bound basis, as in other States, so that any teacher who has completed the required number of years of service automatically gets the Selection Grade-without coming to you or anybody-and so that no single section of the teachers is deprived of the Selection Grade.

I would like to inform you here that in Kerala and in Tamil Nadu, after a teacher completes ten years of service he automatically comes into the Selection Grade. Further, in Kerala, they have another scale which is called 'Running Scale' or 'Super Scale' by which there is no stagnation in the whole service of the teacher ; and it helps them when they have come to the top of the selection grade.

In Haryana, as soon as a JBT teacher gets his B.Ed., he automatically gets the new TGT scale, in which-ever part of the school he may teach. This is called Incentive Pay. In Rajasthan, as soon as a JBT teacher gets his B.Ed., he automatically gets three increments.

None of these ideas—either from Kerala, Tamil Nadu, Haryana or Rajasthan—have been taken up or incorporated in the Delhi teacher's pay scales.

Another point which I would like to draw your attention to, is the fact that according to the Kothari Commission's Report under the 10 plus 2 scheme, primary schools should be upgraded into Upper Primary Schools (i.e. upto 7th Class). If that had been done, most of the problems would be solved, because teachers would

automatically go to the next higher grade, and get promotion. It has also not been done.

So, you were not willing to give the benefit of the 3rd pay commission to the teachers, nor are you implementing this Kothari Commission's report.

It is also to be noted that the primary school teacher (JBT) is graded at a lower level than a less educationally qualified person with one year's P.T. experience, who gets a higher grade in Rs. 440-750. The JBT gets only Rs. 330-560 after two years of training. The anomaly shows discrimination. The Fourth Pay Commission by September will be able to give some kind of an answer whether they will do something for the teachers. The Fourth Pay Commission or the Committee of four Ministers has been set up, whatever you may call it. I would like to know whether they have taken up the question of upward revision of the pay scales of primary teachers with running grades, a time-bound Selection Grade; a grade based on qualifications (teachers after getting training should automatically qualify for a higher grade); and that primary schools be upgraded to Upper Primary Schools to permit and open up promotion channels. These four things specifically should be included in the Fourth Pay Commission's agenda for a discussion, the Committee of the four Ministers of the Cabinet.

It is in the fitness of things that these much discriminated teachers should also be given certain facilities, which I give below :—

1. Medical facilities like their being included under the CGHS Scheme since the present system of reimbursement for expenses is slow and complicated or some other arrangement for meeting medical expenses should be made.

2. Teachers' children and wards should be given priority facilities of being absorbed in the Corporation set up.

3. In the Union Territory of Delhi the teachers are facing hardships especially in the procurement of flats. There should be a definite allotment quota system for Primary Teachers with facilities for hire purchase.

These are some of the important points. When you will announce some kind of a policy or some revision of grades take place, those points should be taken into consideration.

I would like to submit that the teachers who have gone on strike in the most peaceful way, their demands are justified. They have shown that they can ask for their demands while going on strike in a peaceful way without getting into any kind of violence. I think we should compliment those teachers. I would also say that if we appeal to the teachers to call off their strike, they will do it. But I would like to mention that those four points you must consider. Please do not give them any benefit in a piecemeal way. Suppose you are not able to do it by September, you give them one instalment. Suppose you are not able to answer it by September, then you please say, till such time the Fourth Pay Commission announces anything about their demands, such and such will be their running grades so that they are satisfied. Let them take 20 years or 50 years, but, at least, they should know that such and such will be their running grades.

SHRIMATI SHEILA KAUL : Mr. Deputy Speaker Sir, Shri Tytler has given some suggestions and recommended that these should be take up with the Committee of Ministers which is sitting and decide or the Fourth Pay Commission—when it is there—should take up all these different points. I would like to inform him that we have in view all these things and we are trying to find out what can be done. So, I am grateful to him for his valuable suggestions. So, I am grateful to him for giving his suggestions. I am told that he also owns a school and he must be having his own teachers.

SHRI JAGDISH TYTLER : I do not own a school. I am the Chairman of an educational trust.

AN HON. MEMBER : He is the Chairman of a School.

SHRIMATI SHEILA KAUL : His suggestions should prove useful. I am very thankful to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we

go to the next item. Statement by Minister of Parliamentary Affairs. Shri Buta Singh.

13.46 Hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :

With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 2nd May, 1983, will consist of :—

1. Further consideration and passing of the Finance Bill, 1983.
2. Consideration and passing of :—
 - (a) The African Development Bank Bill, 1983.
 - (b) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1983.
 - (c) The Central Industries Security Force (Amendment) Bill, 1983.
 - (d) The Trade Unions (Amendment) Bill, 1982.
 - (e) The Cantonments (Amendment) Bill, 1982.
3. Further discussion on the 29th, 30th and 31st Reports of the Union Public Service Commission.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे उत्तर बिहार में भयंकर तूफान, वर्षा एवं ओला पड़ने से रबी की फसल की भारी बरबादी हुई है। गेहूं की फसल तो खास तौर से बरबाद हुई है। इससे किसानों को अपार क्षति उठानी पड़ी है। यह अवस्था केवल बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हरियाणा एवं पंजाब में भी उत्पन्न हुई है। अस्तु, किसानों की इस स्थिति पर अगले सप्ताह की कार्यसूची में इसको लाकर लोक सभा में चर्चा होनी चाहिये।

अप्रैल का अब अन्त हो रहा है। गन्ना

किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है। उसकी पिराई की सुनिश्चितता होनी चाहिये तथा उनके बकाया के भुगतान का कोई सरकारी उपाय होना चाहिये। इसलिए अगले सप्ताह में कार्यसूची में इसको लाकर इस पर बहस होनी चाहिये तथा किसानों की इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिये।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : देश के कई राज्य भयंकर सूखे की चपेट में आ गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु आदि में सूखे की यह स्थिति अभूतपूर्व है। वहां पीने के पानी का घोर संकट है तथा करोड़ों रुपयों की फसलें नष्ट हो गई हैं। भारी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहे हैं और साथ में पशुओं को भी ले जा रहे हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भयानक बीमारियां फैल रही हैं। राजस्थान में अकाल तथा बीमारियों से सैकड़ों लोगों के मरने की खबर है। जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर आदि जिलों में सूखे की स्थिति अत्यन्त भयानक है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा बुन्देलखंड का अधिकांश भाग सूखे से घुरी तरह प्रभावित है। बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सूखे से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की फसलों को हानि पहुंची है। तमिलनाडु में पेयजल की विकट समस्या पैदा हो गई है।

केरल में 1360 गांवों में से 1341 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। श्रीमान, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और देश का लगभग 75 प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित है। अतः इस गम्भीर मामले पर अगले सप्ताह इस सदन में बहस अवश्य होनी चाहिये।

उत्तर प्रदेश के ताप बिजली घरों में उत्पादन क्षमता से बिजली का उत्पादन बहुत कम हो रहा है जिसके कारण राज्य में सिंचाई, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा गेहूं निकालने के लिए थ्रेशरों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा